संख्याः 84 /XXIII/2010/68/2009

प्रेषक,

डॉ0 रणबीर सिंह,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

आबकारी अनुभाग देहरादूनः दिनॉकः 08 फरवरी, 2010।

विषय :– **वित्तीय वर्ष 2009–10 के लिए अवचनबद्ध मदों के अन्तर्गत 03–अधिष्ठान के लिए प्रथम अनुपूरक अनुदान की धनराशि व्यय हेतु निवर्तन में रखे जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रमुख सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्याः 05/XXVII(1)/2010 दिनांकः 07 जनवरी, 2010 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2009–10 के लिए प्रथम अनुपूरक अनुदान के द्वारा 03–अधिष्ठान शीर्षक के अन्तर्गत अवचनबद्ध मदों में आवंटित धनराशि रूपये 2.50 लाख (रूपये दो लाख पचास हजार मात्र) को निम्नानुसार व्यय हेतु आपके निवर्तन में रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

क्रम संख्या	मद का नाम	धनराशि (रूपये हजार में)
01.	19 – विज्ञापन, बिक्री और विख्यापन व्यय	150
02	47 – कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	100
	योग	250

2. व्यय उसी मद में किया जायेगा, जिसके लिए यह स्वीकृत किया जा रहा है।

3. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय दिनांक 31 मार्च, 2010 तक सुनिश्चित कर लिया जाय।

4. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2009–10 के अनुदान सं0–08 के लेखा शीर्षक–2039–राज्य उत्पादन शुल्क, 00, 001–निदेशन तथा प्रशासन, 03–अधिष्ठान के मानक मद "19 – विज्ञापन, बिक्री और विख्यापन व्यय" तथा "47 – कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय" मद के नामे डाला जायेगा।

5. यह आदेश वित्त अनुभाग–5 के अशासकीय संख्याः 546NP XXVII/5(1) दिनॉकः 03.02.2010 के अन्तर्गत उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

डॉ0 रणबीर सिंह
सचिव

संख्याः 84 (1) /XXIII/2010/68/2009 तद्दिनॉकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबराय भवन, माजरा, देहरादून।
2. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
3. वित्त अनुभाग–5, उत्तराखण्ड शासन।
4. निदेशक, एन0आई0सी0 उत्तराखण्ड, सचिवालय परिसर, देहरादून।
5. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(ओ0 पी0 तिवारी)
उप सचिव.

budget